राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 268/2015

श्रीमती धनकंवर **–अपीलार्थी**

बनाम

1. कमिश्नर, क्षेत्रीय विकास आयुक्त सीएडी चंबल, कोटा।
2. अधिशाषी अभियन्ता, खेतसुधार खण्ड द्वितीय सीएडी, कोटा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 21.04.2015
आदेश की दिनांक : 08.09.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक जोशी, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : डॉ. पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि प्रार्थिया के पति निधन दिनांक 17.12.1989 से पारिवारिक पेंशन देने एवं उस पर 12 प्रतिशत ब्याज भुगतान किए जाने के आदेश फरमाए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी के पति का हैल्पर के पद पर वर्कचार्ज सेवा के तहत दिनांक 24.02.1979 को नियुक्ति हुई थी और अपीलार्थी के पति श्री कृष्णा भटनागर हैल्पर के पद पर रहते हुए दिनांक 17.12.1989 को निधन हुआ था। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान 1983, 1987 एवं 1989 के लाभ भी प्रदान किए गए और वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ भी दिया गया तथा आदेश दिनांक 16.11.1992 के द्वारा अपीलार्थी के पति को 2 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर दिनांक 24.02.1981 से अर्द्धस्थायी किया गया और वेतन श्रृंखला 245–310 प्रदान की गई। अपीलार्थी के पति ने 10 वर्ष से ज्यादा मृत्यु पूर्व कार्यकाल पूरा कर लिया था और इस प्रकार पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने की अधिकारी है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि प्रार्थिया के पति निधन दिनांक 17.12.1989 से पारिवारिक पेंशन देने एवं उस पर 12 प्रतिशत ब्याज भुगतान किए जाने के आदेश फरमाए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी के पति का निधन वर्ष 1989 में हुआ और अपील वर्ष 2015 में 26 वर्ष बाद अधिकरण के समक्ष पेश की गई, जो इतने लम्बे समय के आधार पर प्रकरण प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। वर्कचार्ज सेवा नियम, 1964 के नियम (3)(1) के उपबंधों के अनुसार कोई भी बात स्थायी/अर्द्धस्थायी वर्ग में वर्गीकृत किसी भी कार्य प्रभारी कर्मचारी को स्थायी/अर्द्धस्थायी की ऐसी परिस्थिति या लाभों का दावों करने हेतु अधिकृत नहीं करेगी, जिसको राजस्थान सेवा नियमों के अंतर्गत एक नियमित सरकारी कर्मचारी प्राप्त करने का अधिकारी है। अपीलार्थी के पति द्वारा जीवित रहते हुए सीपीएफ/जीपीएफ आदि का कोई विकल्प नहीं भरा गया था। इसलिए पेंशन प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। वर्कचार्ज नियम 22(6) के अनुसार पेंशन स्वीकृत करने या नहीं करने का अधिकार राज्य सरकार को है। जबकि अपीलार्थी के पति द्वारा सेवाकाल में न तो पेंशन का विकल्प दिया गया और न ही सीपीएफ/जीपीएफ की कटौती करवाई गई और इस प्रकार वर्कचार्ज कोड नियम 22क के अनुसार पारिवारिक पेंशन पात्रता अर्जित नहीं होती है। पेंशन नियम, 1996 के नियम 60ख के अनुसार वर्कचार्ज कर्मचारियों पर पारिवारिक पेंशन नियम लागू नहीं होते लेकिन राज्य सरकार के पत्र दिनांक 04.09.2006 के अनुसार ऐसे वर्कचार्ज कर्मचारी जिनकी दिनांक 01.01.1996 के पश्चात् 10 वर्ष से अधिक पेंशन योग्य सेवा हो गई हो, वही पेंशन पाने के हकदार होंगे। जबकि अपीलार्थी के पति की मृत्यु दिनांक 17.12.1989 को हो गई थी। इस प्रकार अपीलार्थी उक्त अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी के पति की दिनांक 24.02.1979 को हैल्पर के पद पर वर्कचार्ज सेवा के तहत नियुक्ति हुई थी और अपीलार्थी के पति श्री कृष्णा भटनागर हैल्पर के पद पर रहते हुए दिनांक 17.12.1989 को निधन हुआ था। आदेश दिनांक 16.11.1992 के

द्वारा अपीलार्थी के पति को 2 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर दिनांक 24.02.1981 से अर्द्धस्थायी किया गया और वेतन श्रृंखला 245–310 प्रदान की गई। अपीलार्थी के पति ने 10 वर्ष से ज्यादा मृत्यु पूर्व कार्यकाल पूरा कर लिया था और इस प्रकार पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने की अधिकारी है। जहां तक अपीलार्थी को 10 वर्ष की सेवाकाल पूर्ण होने उपरांत पारिवारिक पेंशन का लाभ नहीं दिए जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि अपीलार्थी के पति द्वारा अपने जीवित रहते हुए सेवाकाल में सीपीएफ/जीपीएफ आदि काटने हेतु कोई अंशदान नहीं काटा गया और न ही कोई विकल्प भरा गया। जबकि नियम 22क के अंतर्गत पेंशन या भविष्य निधि हेतु 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर नियम 3 के अंतर्गत एक कार्य प्रभारित कर्मचारी जिसे स्थाई घोषित किया गया है या किया जा रहा है, को यह विकल्प होगा कि या तो अंशदायी भविष्य निधि में अभिदान करना जारी रखे या पेंशन लाभों हेतु विकल्प देवें। जबकि अपीलार्थी के पति द्वारा ऐसा कोई विकल्प नहीं दिया गया। नियम 22क के नियम (vi) ऐसे व्यक्ति जो विहित अवधि में विकल्प निष्पादित नहीं करते हैं। उनके लिए यह समझा जावेगा कि वे अंशदायी भविष्य निधि के लाभ जारी रखना चाहते हैं। विकल्प नियोजन को प्रेषित किया जाएगा जिसे सक्षम प्राधिकारी, जो उसे प्राप्त करेगा, द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा। कर्मचारी द्वारा निष्पादित किया गया विकल्प उसकी सेवा पुस्तिका में चिपकाया जाएगा और उसकी एक प्रति उसकी निजी पत्रावली में रखी जावेगी। परंतु अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है कि जिससे यह स्पष्ट हो कि अपीलार्थी के पति द्वारा सेवाकाल के दौरान कोई विकल्प भरा गया हो। इस प्रकार हमारे मत में अपीलार्थी उक्त नियमों के आधार पर पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य